1267

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

संख्या 566 / पटना, दिनांक 13-2-2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षकों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –**

(1) यह नियमावली **बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2020** कहीं जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीनस्थ राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों तक रहेगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ** – इस नियमावली में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

(i) **"सरकार"** से अभिप्रेत है **"बिहार सरकार"**।

(ii) **"आयोग"** से अभिप्रेत है **"बिहार लोक सेवा आयोग"**।

(iii) **"निदेशालय"** से अभिप्रेत है **"विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय"**।

(iv) **"विभाग"** से अभिप्रेत है **"विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग"**।

(v) **"सेवा"** से अभिप्रेत है **"बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा"**।

(vi) **"सीधी नियुक्ति"** से अभिप्रेत है **"बिहार लोक सेवा आयोग"** की अनुशंसा पर की जाने वाली नियुक्ति।

(vii) **"समिति"** से अभिप्रेत है विभाग द्वारा गठित **"विभागीय प्रोन्नति समिति"**।

(viii) **"सेवा के सदस्य"** से अभिप्रेत है "इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा" में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति।

(ix) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है "बिहार सरकार"।

(x) **"परिषद्"** से अभिप्रेत है **"अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप)"**

(xi) **"संकाय सदस्य"** से अभिप्रेत है **"संस्थान के व्याख्याता या विभागाध्यक्ष"**।

(xii) **"वर्ष के अन्दर रिक्ति"** से अभिप्रेत है सेवा में नये पदो के सृजन, सेवा निवृति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने के फलस्वरूप 1 लीं अप्रैल को उपलब्ध रिक्ति।

(xiii) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात पहली अप्रैल 01 से अगले वर्ष के मार्च 31 तक की अवधि।

(266)

3. बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा संवर्ग हेतु संवर्गीय संरचना।–

(1) संवर्ग में निम्नलिखित पद होंगे –

क्र0सं0	पदनाम	प्रास्थिति
1	व्याख्याता	राजपत्रित
2	विभागाध्यक्ष	राजपत्रित
3	प्राचार्य	राजपत्रित

स्पष्टीकरण – संविदा के आधार पर कार्यरत व्यक्ति इस संवर्ग के सदस्य नहीं समझे जायेंगे।

(2) यह संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग होगा।

(3) इस सेवा के सदस्यों के लिए वेतनमान राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) व्याख्याता की सीधी नियुक्ति से भरे जानेवाले पदों की सृजित संख्याएँ परिषद् (अभातशिप) द्वारा विहित छात्र शिक्षक अनुपात में होगी।

(5) प्राचार्य द्वारा यांत्रिकी शाखा के वरीयतम व्याख्याता को कम शिक्षण कार्यबोझ के साथ कर्मशाला अधीक्षक का दायित्व सौपा जा सकेगा।

4. **रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना।** – प्रत्येक वर्ष की 1 ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर विभाग राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों हेतु व्याख्याता, विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य के पदों पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी और उसके अनुसार सीधी नियुक्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की आरक्षण कोटिवार अधियाचना यथासम्भव 30 अप्रैल तक आयोग को प्रेषित करेगी।

5. **सीधी नियुक्ति।** – (1) संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।

(2) सीधी नियुक्ति की स्कीम परिशिष्ट–1 पर उपबंधित है, जिसमें सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

6. **आरक्षण।** – इस सेवा में सीधी नियुक्ति में सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू रहेंगे। आरक्षण रोस्टर विषय और शाखावार संधारित होगा।

7. **उम्र–सीमा।** – सीधी नियुक्ति के लिए संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा निम्नवत् होगी:–

पद	न्यूनतम उम्र
(क) व्याख्याता	21 वर्ष
(ख) विभागाध्यक्ष	33 वर्ष
(ग) प्राचार्य	37 वर्ष

उम्र की गणना आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन वर्ष की पहली अगस्त के आधार पर की जाएगी।

8. (क) वरीयता। – विभाग प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में संवर्गो के प्रत्येक पद के लिए विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों की वरीयता सूची प्रकाशित करेगी। सीधी भर्त्ती और प्रोन्नति के माध्यम से आने वाले शिक्षकों की वरीयता सूची शाखा/विषयवार अलग से संधारित होगी।

(ख) आन्तरिक वरीयता।–

(i) प्रत्येक शाखा/विषय के लिए सीधी भर्त्ती शिक्षकों की वरीयता सूची आयोग द्वारा प्रकाशित मेधा सूची के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(ii) एक ही शाखा/विषयों में पदोन्नत शिक्षकों की वरीयता सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चयन समिति की अनुशंसा में उल्लेखित प्रोन्नति के लिए पात्रता की तिथि के सन्दर्भ में निर्धारित की जायेगी। यदि पात्रता की तिथि एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए एक ही है तो वरीयता नियुक्ति की तिथि एवं मेघा सूची में स्थान के आधार पर तय किया जायेगा। यदि वरीयता अभी भी तय नहीं की जा सकती है तो पहले जन्म की तिथि वाले व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी। यहॉ तक की अगर यह पर्याप्त नहीं है तो वरीयता तय करने के लिए प्रथम नाम के वर्णानुकम पर विचार किया जायेगा।

(iii) सीधी भर्त्ती किये गये और प्रोन्नत शिक्षकों की पारस्परिक वरीयता सीधी भर्त्ती किये गये शिक्षकों के लिए योगदान होने की तिथि और प्रोन्नत शिक्षकों के लिए चयन समिति की अनुशंसा में वर्णित पात्रता की तिथि के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

9. **प्रोन्नति।–** (1) प्रोन्नति की योजना, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम–2019 और समय–समय पर निर्गत अभातशिप विनियम के अनुरूप लागू होगा। प्रोन्नति योजना का लाभ समिति की अनुशंसा के आधार पर देय होगा तथा शिक्षकों द्वारा धारित मूल पद को उत्क्रमित किया जायेगा। परन्तु संवर्ग के सभी सृजित पदों की कुल संख्या के अधीन ही प्रोन्नति का लाभ देय होगा। सेवा निवृति

या अन्यथा रिक्त होने पर उत्क्रमित पद स्वतः मूल पद के रूप में अवक्रमित हो जायेगा।

(2) प्रत्येक मामले में प्रोन्नति का लाभ तभी देय होगा जब संबंधित शिक्षक, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रोन्नति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु सभी शर्तों को पूरा करते हों।

(3) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

10. **स्थापना संबंधी कार्यों का नियंत्रण।** – इस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, प्रोन्नति, पदस्थापना, स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य नियुक्ति प्राधिकार के नियंत्राधीन होगा।

11. **प्रतिनियुक्ति।** – इस संवर्ग के सदस्यों का पदस्थापन प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभाग/निदेशालय के अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के उपयुक्त गैर संवर्गीय पदों पर अधिकतम 3 वर्षो की अवधि के लिए किया जा सकेगा।

12. **अनुशासनिक कार्रवाई।**– सेवा के सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

13. **विविध।** – जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है उसके संबंध में राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेश लागू होंगे।

14. **शिथिल करने की शक्ति।** – जहॉ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहॉ सरकार आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेगी।

15. **निर्वचन।** – जहॉ इस नियमावली के किसी नियम के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहॉ इस विषय पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

16. **कठिनाइयॉ का निराकरण।** – नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

17. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**– (1) "बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2014"(समय समय पर यथा संशोंधित) को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त पूर्व नियमावली के प्रावधानों के तहत किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई उस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के

अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जाएगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13.2.20

संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि0प्रा0 (I) स्था0–06/2014 (पार्ट) 566 /पटना, दिनांक– 13.2.2020
प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि 500 (पॉच सौ) अदद मुद्रित प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

13.2.20

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि0प्रा0 (I) स्था0–06/2014 (पार्ट) 566 /पटना, दिनांक– 13.2.2020
प्रतिलिपि– सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ सभी राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों/ सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13.2.20

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि0प्रा0 (I) स्था0–06/2014 (पार्ट) 566 /पटना, दिनांक– 13.2.2020
प्रतिलिपि– निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13.2.20

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि0प्रा0 (I) स्था0–06/2014 (पार्ट) 566 /पटना, दिनांक– 13.2.2020
प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.2.20

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि0प्रा0 (I) स्था0–06/2014 (पार्ट) 566 /पटना, दिनांक– 13.2.2020
प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13.2.20

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि0प्रा0 (I) स्था0–06/2014 (पार्ट) 566 /पटना, दिनांक– 13-2-2020
प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/आप्त सचिव, मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13.2.20

संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

परिशिष्ट–1

तालिका–1

बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए विहित अर्हता एवं अनुभव

1262

क्र0सं0	पद	अर्हताएँ	अनुभव
1	व्याख्याता	इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी प्रासंगिक शाखा में बी.ई. / बी.टेक. / बी.एस. / बी0एस0सी0 (इंजी0) प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ।	————
		मानविकी एवं विज्ञान उपयुक्त विषय में निष्णात डिग्री के साथ स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष।	————
2	विभागाध्यक्ष	इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. तथा प्रासंगिक विषय क्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी।	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड–I) के स्तर पर पीएच.डी. के पश्चात् का हो।
		अथवा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक तथा निष्णात डिग्री।	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 15 वर्ष के अनुभव के साथ जिसमें कम से कम तीन वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड–II) के स्तर पर हो।
		मानविकी एवं विज्ञान प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. तथा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी।	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड–I) के स्तर पर पीएच.डी. के पश्चात् का हो।
		अथवा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक तथा निष्णात डिग्री।	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 15 वर्ष के अनुभव के साथ जिसमें कम से कम तीन वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड–II) के स्तर पर हो।
3	प्राचार्य	पीएच.डी. तथा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी।	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 16 वर्ष के अनुभव के साथ, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव पीएच.डी. के पश्चात् का हो तथा विभागाध्यक्ष से अन्यून स्तर का 5 वर्ष का अनुभव।
		अथवा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी।	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 20 वर्ष के अनुभव के साथ, जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव विभागाध्यक्ष के स्तर से अन्यून स्तर का हो।

गो :–

1. वर्ग / श्रेणी : (261)

यदि कोई वर्ग / श्रेणी प्रदान नहीं की गई है, तो कुल प्राप्त अंकों के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को ही प्रथम वर्ग / श्रेणी के समकक्ष माना जाएगा। जब सी०जी०पी०ए० प्रदान किया गया है, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान का परिवर्त्तन सूत्र, यदि उपलब्ध है तो, मान्य होगा, अन्यथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का उपलब्ध परिवर्त्तन सूत्र अपनाई जाएगी जो निम्नवत् है :–

ग्रेड अंक	समकक्ष प्रतिशतता
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

2. **पीएच.डी. के लिए समकक्षता :**

पीएच.डी. के लिए समकक्षता **5** अंतराष्ट्रीय जर्नल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें से प्रत्येक जर्नल का संचयी प्रभाव सूचकांक **2.0** से अन्यून हो, जिसमें पदधारक मुख्य लेखक है तथा सभी **5** प्रकाशन लेखक के विशेषज्ञता के क्षेत्र है। विकल्पतः व्यक्ति ने कम–से–कम दो पेटेंट प्राप्त किए होने चाहिए अथवा वह राष्ट्रीय अकादमियों में से किसी के फैलो के रूप में निर्वाचित हो।

3. **बी.ई./बी.टैक के पश्चात् सीधे पीएच.डी करने हेतु पात्रता :**

पदों के विभिन्न स्तरों के लिए बी.ई./बी.टैक के पश्चात् सीधे प्राप्त की गई पी.एच.डी. की अर्हता तकनीकी संस्थाओं में लागू होगी, बशर्ते कि प्रासंगिक शाखा में प्राप्त की गई पीएच.डी. की डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट, पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया आदि का अनुपालन करते हुए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (जैसे कि – आईआईटी/आईआईएससी/एनआईटी इत्यादि) द्वारा प्रदान की गई हो। आगे यह भी की, उम्मीदवार ने इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक स्तर पर कम से कम प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो।

4. **प्रासंगिक डिग्री की नामावली :**

अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् विनियम **2019** की कंडिका **6.4** में निर्धारित प्रावधान लागू होंगे। यदि अभातशिप की परिधि में कोई विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार समकक्षता पर निर्णय पाठ्यक्रम के आधार पर लेगी।

5. **पूर्व की सेवा एवं अनुभव :**

अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् विनियम **2019** की कंडिका **2.22** में निर्धारित प्रावधान एवं शर्तें लागू होंगे।

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

परिशिष्ट–1

तालिका–2

बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के व्याख्याता पद पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीमः

संवर्गीय पद	कुल वेटेज – 100			
	अकादमिक रिकार्ड तथा अनुसंधान निष्पादन (वेटेज–20)	कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) द्वारा मूल्यांकन (वेटेज–40)	साक्षात्कार निष्पादन– (वेटेज–15)	संविदा पर नियोजित व्याख्याताओं के लिए (वेटेज–25)
व्याख्याता (क) मानविकी एवं विज्ञान	a) Maximum 10 (10% of Percentage Marks obtained in M.Sc./MA in relevant subject). b) Maximum 05 (5% of Percentage marks obtained in B.Sc. (Hons)/B.A (Hons) in relevant subject). c) Ph.D-05 अंक	मानविकी एवं विज्ञान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) के संबंधित कोर विषय का पाठयक्रम लागू होगा।		विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित व्याख्याता जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते है को 05 अंक प्रतिवर्ष। (अधिकतम– 25 अंक)
(ख)इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी	a) Maximum 10 (10% of Percentage Marks obtained in B.Tech./B.E/B.S/B.Sc (Engg.) in relevant branch). b) Maximum 5 (5% of Percentage marks obtained in M.Tech./M.E/M.S in relevant Branch). c) Ph.D-05 अंक	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी संकाय के लिये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) का पाठयक्रम लागू होगा।		विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित व्याख्याता जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते है को 05 अंक प्रतिवर्ष। (अधिकतम– 25 अंक)

1259.

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

परिशिष्ट–1

तालिका–3

बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीमः

अकादमिक पृष्ठभूमि (वेटेज–20)	अकादमिक निष्पादन, अनुसंधान निष्पादन, कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का मूल्यांकन (वेटेज–60) (अभियंत्रण, मानविकी एवं विज्ञान)		साक्षात्कार निष्पादन– (वेटेज–20)
a) Maximum 10 (10% of Percentage Marks obtained in M.Tech./M.E/M.S/M.Sc./ MA in relevant Branch/Subject). b) Maximum 05 (5% of Percentage marks obtained in B.Tech./B.E/B.S/B.Sc.(Engg)/B.Sc. (Hons)/BA (Hons). c) Ph.D-05	a) शोध/ पुस्तक प्रकाशन – (वेटेज–20 अधिकतम)	नोटः– • संदर्भित जर्नलस –3 प्रति प्रकाशन • गैर–सदर्भित परंतु मान्य एवं जाने–माने जर्नल्स तथा पिरीयोडिकल, जिनके आई.एस.बी.एन./ आई.एस.एस. एन. नंबर हो–2 प्रति प्रकाशन • पाठय या संदर्भ पुस्तके, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा जानी–मानी पीयर रिव्यू प्रणाली द्वारा प्रकाशित किया गया हो, जिनके आई.एस.बी.एन./ आई.एस.एस.एन. नंबर हो– एक मात्र लेखक द्वारा 5 प्रति अध्याय संपादित पुस्तक में 1 प्रति अध्याय • केन्द्र सरकार के प्रकाशनों तथा राष्ट्रीय /राज्य स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयगत पुस्तकें, जिनकी आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. संख्या हों– एक मात्र लेखक द्वारा 2.5 प्रति अध्याय संपादित पुस्तक में 0.5 प्रति अध्याय • आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. संख्या वाली अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयगत पुस्तकें– एक मात्र लेखक द्वारा 1.5 प्रति अध्याय संपादित पुस्तक में 0.25 प्रति अध्याय • ज्ञान आधारित खंडों में अध्यायों का संपादन योगदान (अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित जिनके आई. एस.बी.एन./ आई.एस.एस.एन. नंबर हो) **–2 प्रति अध्याय** • भारतीय/राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित खंडों में अधयाय (जिनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टरी के नंबरों सहित आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. नंबर हो–**1 प्रति अध्याय**	

	b) संगोष्ठी प्रस्तुतीकरण– (वेटेज–10 अधिकतम)	• पूर्ण कागजातों आदि के रूप में संगोष्ठी/सम्मलेन की कार्यवाहियाँ (सार सम्मिलित न किया जाए) अंतर्राष्ट्रीय **5 प्रति प्रकाशन** राष्ट्रीय **2.5 प्रति प्रकाशन**	
	c) स्पोनसर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट / परियोजना (वेटेज–20 अधिकतम)	• 30.0 लाख रूपये से ऊपर के अनुदान से चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाए–**1.5 प्रति परियोजना** • 5.0 लाख रूपये से 30.00 लाख रूपये तक के अनुदान से चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाए–**1.0 प्रति परियोजना** • लघु परियोजनाए (50,000 रूपये से 5 लाख रूपये तक के अनुदान से चलाई जाने वाली लघु परियोजनाए)–**0.5 प्रति परियोजना** • केन्द्र तथा राज्य स्तर के सरकारी निकायों के बृहद नीतिगत दस्तावेज पेटेंट/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/उत्पाद/प्रक्रिया– **3.0 प्रति राष्ट्रीय स्तर परिणाम या पेटेंट** **5.0 प्रति अंतराष्ट्रीय परिणाम या पेटेंट**	
	d) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, पद्धति कार्यशाला, प्रशिक्षण, शिक्षण– अधिगम मूल्यांकन प्रोद्योगिक कार्यक्रम, संकाय, विकास कार्यक्रम (वेटेज–10 अधिकतम)	(क) न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि –1.5 **प्रति** (ख) न्यूनतम एक सप्ताह की अवधि –1.0 **प्रति**	

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13.2.20

संयुक्त सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NOTIFICATION

No. :..............566............/ /Patna, Dated :- 13-2-2020

In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules for the appointment to different posts of Teachers in Govt. Polytechnics/Govt. Women's Polytechnics Institutes, and to regulate their service conditions:-

1. **Short title, extent and commencement –**

(1) These Rules shall be known as **Bihar Polytechnic Education Service Rules, 2020**

(2) It shall extend to all the Govt. Polytechnics/Govt. Women's Polytechnics under the Department of Science and Technology, Govt. of Bihar, in the whole state of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. **Definitions- In these Rules, unless otherwise required in the context, the following terms mean as under-**

(i) **"Government"** means the **'Government of Bihar'**;

(ii) **"Commission"** means **'Bihar Public Service Commission'.**

(iii) **"Directorate"** means the **'Directorate of Science and Technology'**;

(iv) **"Department"** means the **'Department of Science and Technology'**;

(v) **"Service"** means **'Bihar Polytechnic Education Service'**;

(vi) **"Direct Appointment"** means appointment to be made on the recommendation of Bihar Public Service Commission;

(vii) **"Committee"** "means the 'Departmental Promotion Committee", constituted by the Department;

(viii) **"Service Member"** means the person appointed and included in the Bihar Polytechnic Education Service under the provisions contained in these Rules;

(ix) **"Appointing Authority"** means the Government of Bihar;

(x) **"Council"** means "All India Council for Technical Education (AICTE)";

(Xi) **"Faculty member" means a Lecturer or Head of Department of the Institute.**

(xii) **"Vacancies within the year"** means the vacancies occurring on 1st April by virtue of creation of new posts, superannuation, death and dismissal, etc

(xiii) **"Year"** means Financial Year, i.e., the period from April 01 to March 31 of the next year;

256

3. **Cadre Structure for Bihar Polytechnic Education Service -**

(1) The following posts shall be in the cadre :-

Sl No.	Designation	Status
1	Lecturer	Gazetted
2	Head of the Department (H.O.D.)	Gazetted
3	Principal	Gazetted

Explanation- Persons engaged on contract basis will not be deemed to be members of this cadre.

(2) This Cadre shall be a state level cadre.

(3) The pay scales for the members of this service shall be determined by the State Government.

(4) The number of Sanctioned posts of Lecturer to be filled by Direct appointment shall be as per the student teacher ratio prescribed by the Council. (AICTE).

(5) Responsibility of Workshop Superintendent may be assigned by the Principal to the senior most Lecturer of Mechanical Engineering Branch with reduced teaching workload.

4. **Determination of Vacancies and its intimation to the Commission-**

Every year, as on 1st April the Department shall calculate the vacancies for direct appointment to the posts of Lecturer, Head of the Department and Principal for the Govt. Polytechnics/Govt. Women's Polytechnics and shall accordingly send rosterwise requisition to the Commission for direct recruitment by 30th April as far possible.

5. **Direct Appointment-** (1) Direct appointment to the different posts of the cadre shall be made in the light of the recommendation of the Commission.

(2) The Scheme of Direct Appointment is provided in Apendix-1, which may be amended by the Government, from time to time.

6. **Reservation-** In Direct Appointments in this service, the provisions of Reservation/Roster as provided by the Government from time to time, shall remain applicable. The reservation roster shall be maintained subject/branch-wise.

7. **Age-limit:** For direct appointment, the minimum age limits for different posts of the cadre shall be as under:-

Post	minimum Age
a) Lecturer	-21 Yrs
b) Head of Department	-33 Yrs
c) Principal	-37 Yrs

The age shall be computed on the basis of reference date of 1st August of the year of advertisement issued by the commission.

8. a **Seniority:** The Department shall publish in the month of April every year seniority-lists of legally appointed and working teachers for each level of posts of cadre. Branch/Subject-wise Seniorty list for the teachers coming through direct recruitment and promotion will be maintained separately.

b Interse-seniority:

1. Seniority of directly recruited teachers for each branch/subject will be assigned as per merit list published by the Commission.
2. Seniority of promoted teachers in the same branch/subject shall be determined with reference to the date of eligibility for promotion mentioned in the recommendation of selection committee as per notification issued by the Government. If the date of eligibility is the same for more than one candidate, the date of appointment and position in merit list will be taken into consideration for deciding seniority. If the seniority can still not be decided, the person having earlier date of birth shall be granted seniority. If even this does not suffice, alphabetical order of first name shall be considered for deciding seniority.
3. Inter-se-seniority between the directly recruited and promoted teachers shall be determined with reference to the date of joining for directly recruited teachers and the date of eligibility mentioned in the recommendation of selection committee for promoted teachers.

9. Promotion:-

(1) The Scheme of Promotion will be in conformity with All India Council for Technical Education Regulation 2019 and AICTE regulation issued from time to time. Benefit of Promotion Scheme shall be admissible on the basis of recommendation of the Committee and accordingly the posts held by the teachers shall be upgraded. However, the benefit of Promotion shall be admissible within the total number of sanctioned posts in the cadre. Such upgraded posts shall automatically be downgraded as basic posts in the event of superannuation or otherwise arising vacancy.

(2) In each case, the benefit of Promotion shall only be admissible when concerned teachers fulfill all the conditions to get the benefit under the scheme of promotion notified by the Government.

(3) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department.

10. **Control of Establishment-related Matters:** Appointment, Promotion, posting, transfer, confirmation of service, maintenance of seniority-list and all matters related to establishment shall be under the control of the Appointing Authority.

11. **Deputation:** Posting of members of this cadre may be made on deputation for a maximum period of three years to suitable non-cadre posts of the offices subordinate to or attached with the Department/Directorate.

12. **Disciplinary Action:** The provisions of Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time), shall be applicable for the purpose of disciplinary action against the members of this cadre.

13. **Miscellaneous:** with reference to subjects for which provisions are not made in these Rules, the existing rules/instructions in respect of the State Government employees of similar level will be applicable

14. **Power to relax** – Where the Government deems it necessary and expedient, it may relax any provision of these Rules in respect of a person or a category by order, with reasons recorded.

15. **Interpretation** – Wherever any doubt arises in respect of any rule of these Rules, the decision of the State Government shall be final and binding.

16. **Removal of Difficulty** – Final removal of any difficulty related to these Rules, shall be made by the State Government.

17. **Repeal and saving** – (1) "Bihar Polytechnic Education Service Rules 2014" (as amended time to time) is hereby repealed.

(2) **Notwithstanding** such repeal, any act done or actions taken under the promotions of these rules will be deemed to have been done or taken under the power conferred under these rules as if these were prevalent when this act was done or actions taken.

By the Order of the Governor of Bihar

13.2.20

Joint Secretary,
Deptt. of Science & Technology,

Memo no- वि०प्रा०(I)स्था०–06 / 2014 Patna, Date-
Copy to- Superintendent, Govt. Press, Gulzarbag, Bihar, Patna -7 to publish in the forthcoming issue of the Gazette. Kindly make available of 500 (five hundred) printed copies to this department.

13.2.20

Joint Secretary

Memo no- वि०प्रा०(I)स्था०–06 / 2014 Patna, Date-
Copy to- All Principal, Govt. Engg. Collegeds/Govt. Polytechnic/ Govt./ Women's Polytechnics/The Secretary, State Board of Technical Education, Bihar, Patna for information.

13.2.20

Joint Secretary

Memo no- वि०प्रा०(I)स्था०–06 / 2014 566 Patna, Date- 13.2.2020

Copy to- Director, Department of Science & Technology, Bihar, Patna for information.

13.2.20

Joint Secretary

Memo no- वि०प्रा०(I)स्था०–06 / 2014 566 Patna, Date- 13.2.2020

Copy to- Secretary, Bihar Public Service Commission, Bihar, Patna for information.

13.2.20

Joint Secretary

Memo no- वि०प्रा०(I)स्था०–06 / 2014 566 Patna, Date- 13.2.2020

Copy to- The Accountant General, Bihar, Birchand Patel Path Bihar, Patna for information.

13.2.20

Joint Secretary

Memo no- वि०प्रा०(I)स्था०–06 / 2014 566 Patna, Date- 13.2.2020

Copy to- Chief Secretary/All Principal Secretary/ Secretary/ All Directors/ All Divisional Commissioner, Bihar, Patna for information.

13.2.20

Joint Secretary

Memo no- वि०प्रा०(I)स्था०–06 / 2014 566 Patna, Date- 13.2.2020

Copy to- Secretary, Hon'ble Governor, Bihar, Patna/Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister / Private Secretary to Minister, Department of Science & Technology, Govt. of Bihar, Patna for information.

13.2.20

Joint Secretary

Government of Bihar
Science and Technology Department
Appendix-1

TABLE-1

Prescribed Qualifications and Experience for Direct Appointment in Bihar Polytechnic Education Service

Sl. No.	Post	Qualifications	Experience
1.	**Lecturer**	**Engineering/ Technology** B.E/B.Tech/B.S./B. Sc (Engg.) in the relevant discipline with First Class or equivalent.	--------
		Sciences and Humanities Master's degree in appropriate subject with first class or equivalent at Bachelor's or Master's level.	--------
	Head of the Department	**Engineering/ Technology** Ph.D in relevant field and First Class at Bachelor's or Master's level in the relevant discipline. OR	minimum of 12 years of experience in Teaching/ Research/ Industry, out of which at least 2 years shall be post Ph.D experience minimum at the level of Lecturer (Selection Grade-I)
		Bachelor's and Master's Degree in relevant discipline.	with minimum of 15 years of experience in Teaching/Research/Industry, out of which at least 3 years shall be at the level of Lecturer (Selection Grade-II)
		Science & Humanities Ph.D in relevant field and First Class at Bachelor's or Master's level in the relevant discipline. OR	minimum of 12 years of experience in Teaching/ Research/ Industry, out of which at least 2 years shall be post Ph.D experience minimum at the level of Lecturer (Selection Grade-I)

		Bachelor's and Master's Degree in relevant discipline.	with minimum of 15 years of experience in Teaching/Research/Industry, out of which at least 3 years shall be at the level of Lecturer (Selection Grade-II)
	Principal	Ph.D and First Class at either Bachelor's or Master's level in the relevant discipline. **OR**	with minimum of 16 years of experience in Teaching/ Research/ Industry, out of which 3 years shall be post Ph.D experience and 5 years of experience not below the level of HoD.
		<u>First Class at Bachelor's or Master's level in the relevant discipline</u>	and minimum of 20 years of experience in Teaching/ Research/ Industry, out of which 5 years of experience not below the level of HoD.

* NOTES :

1. Class / Division

If a Class / Division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to First Class / Division. In case CGPA is awarded, the conversion formula of the issuing recognized University / Institute if available shall be followed. Otherwise conversion formula of AICTE as given below shall be followed-

Grade Point	Equivalent Percentage
6.25	55 %
6.75	60 %
7.25	65 %
7.75	70 %
8.25	75 %

2. Equivalence of Ph.D.

Equivalence of Ph.D. is based on publication of 5 International Journal papers, each Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the author's area of specialization. Alternatively, the person should have obtained at least two patents or elected as a Fellow of any of the national academies.

3. Eligibility of direct Ph.D. after B.E. / B.Tech

The qualification of Ph.D acquired for the various level of posts directly after B.E./B.Tech. is applicable in Technical Institutions, provided degree of Ph. D awarded is in relevant discipline by a recognised University following the process of registration, course work and evaluation etc. as prescribed by UGC or has been awarded by the Institutes of national importance (i.e. IITss/IISc./NITs etc.), duly recognized by the MHRD. Further, candidate should have obtained at least first class at Bachelor's level in Engineering / Technology.

4. Nomenclature of Relevant of degrees.

The Provision laid down in AICTE regulation, 2019, para 6.4 will be followed. If any specialization is not available in the AICTE basket, State Government shall decide the equivalence based on the curriculum of the programme.

5. Past service & Experience. The Provision & Conditions laid down in AICTE Regulation 2019 para 2.22 will be applicable.

GOVERNMENT OF BIHAR
SCIENCE AND TECHNOLOGY DEARTMENT

(249)

Appendix-1

TABLE-2

Weightage Scheme for Direct Recruitment to the Post of Lecturer in Bihar Polytechnic Education Service.

Cadre Post	Total Weightage-100 marks Academic Record and Research Work (weightage-20 marks)	Evaluation of work-knowledge and Teaching skill Through written Test (Objective) (weightage-40 Marks)	Interview (weightage-15 marks)	For Lecturer engaged on Contract Basis (weightage-25 marks)
Lecturer (a) Humanities & Science	(a) Maximum 10 (10 % of percentage Marks obtained in M.Sc./MA in relevant subject). (b) Maximum 05 (5% of percentage Marks obtained in B.Sc.(Hons)/BA (Hons), B.Sc/B.A in relevant subject). (c) Ph.D.-05 marks	For Science and Humanities the syllabus of the relevant core Subject of National Eligibility Test (NET) conducted by University Grants Commission (UGC).will be applicable.		Weightage to candidates working on contract basis on the post of Lecturer under Department of Science & Technology and possessing minimum eligibility-criteria @ 05 marks per year (Maximum-25 marks)
(b) Engineering/ Technology	(a) Maximum 10 (10% of percentage Marks obtained in B.Tech./B.E/B.S/B.Sc (Engg.)in relevant branch) (b) Maximum 05 (5% of percentage Marks obtained in M.Tech/M.E/M.S in relevant branch). (c) Ph.D.-05 marks	For Engineering/ Technology stream, the syllabus of Graduate Aptitude Test Engineering (GATE). will be applicable.		Weightage to candidates working on contract basis on the post of Lecturer under Department of Science & Technology and possessing minimum eligibility-criteria @ 05 marks per year (Maximum-25 marks)

GOVERNMENT OF BIHAR

SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

Appendix-I

TABLE-3

Weightage Scheme for Direct Appointment to the Post of Head of the Department/Principal in Bihar Polytechnic Education Service:

	Total Weightage -100		
Academic background (Weightage-20)	**Evaluation of Academic Performance, Research performance, Domain Knowledge and Teaching Skill. (Weightage-60) (Engineering, humanities and Science)**	**Weightage**	**Interview (Weightage-20)**
(a) Maximum 10 (10% of Percentage Marks obtained in M.Tech./M.Sc./M.A. in relevant Branch). (b)) Maximum 5 (5% of Percentage Marks obtained in B.Tech. / /B.E/B.S/B Sc. Engg.)/B.Sc. (Hons)/B.A.(Hons) (c) Ph.D.-05	(a) Research/ Book Publication- (Weightage-20 Maximum)	**Note-** • Referred Journals-**3 per Publication.** • Non-referred but recognized and reputable Journals and periodicals with ISBN/ISSN Number-**2/Publication** • Text Reference Books Published by International Publishers with ISBN/ISSN no and established peer review system by sole author-**5/Chapter** In edited Books-**1/Chapter** • Subject Books by National/State level publishers and Central Government Publications with ISBN/ISSN Numbers- By sole author-**2.5/Chapter** In edited Books **-0.5/Chapter** • Subject Books by other local publishers with ISBN/ISSN Numbers-By sole author-**1.5/Chapter** In edited Books-**0.25/Chapter** • Chapters contribution to edited knowledge based volumes (published by International Publishers-with ISBN/ISSN no.) 2/Chapter • Chapters in knowledge based volumes Published by Indian/National level Publishers with ISBN/ISSN Numbers and with numbers of National and International directories - 1/Chapter	

	(b) Seminar Presentation (Weightage —10 Maximum)	• Seminar/Conference Proceedings as full papers etc. (Abstracts not to be included) International — 5/Publication National — 2.5/Publication	
	(c) Sponsored Research Project/ — (Weightage —20 Maximum)	• Major projects amount mobilized with grants above Rs. 30.0 Lakh Each Project —1.5 Weightage • Major projects amount mobilized with grants above Rs. 5 Lakh up to 30.0 Lakh Each Project —1.0 Weightage • Minor projects (amount mobilized with grants above Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Each Project — 0.5 Weightage • Major policy document of Government. Bodies at Central and State level Patent/Technology transfer/Product/Process 5.0 for Each one of International level 3.0 for Each Output/Patent of National level	
	(d) refresher courses, methodology, workshop, training, teaching, learning evaluation technology, soft skill, development programme faculty development programme (Weightage —10 Maximum)	(a) Of a 2 weeks duration - 1.5 /Each (b) Of a 1 week duration - 1 /Each	

By the Order of the Governor of Bihar

13.2.20

Joint Secretary
Science & Technology Department